

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

मुकदमा नम्बर: 1/2022

वादी:-

कानाराम पुत्र शिवकरण जाति जाट उम्र करीबन 60 वर्ष साकिन ग्राम खाखड़की, तहसील नावां जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. नारायणराम पुत्र शिवकरण जाति जाट उम्र करीबन 50 वर्ष
2. हनुमानराम पुत्र पुत्र शिवकरण जाति जाट उम्र करीबन 50 वर्ष सभी साकिन खाखड़की तहसील नावां जिला नागौर।
3. मेनेजर एचडीएफसी बैंक लि. शाखा कुचामनसिटी।
4. मेनेजर नागौर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा नावां।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नावां (भूमिधारी)।

दावा वास्ते हस्तकरार हक व बंटवारा  
अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

उपस्थित :- श्री हनुमानाराम अधिवक्ता वादी

श्री कन्हैयालाल शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांक:- 10.01.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम खाखड़की तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 445 रकबा 3.80 हैक्टर, खसरा नंबर 452 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नंबर 578 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नंबर 595 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नंबर 825/380 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नंबर 843/577 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 8.39 हैक्टर भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी कानाराम के, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नारायणराम के, 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी हनुमानराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज हैं। नकल खतौनी व नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ पेश किये। राजस्व ग्राम खाखड़की, तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 445 रकबा 3.80 हैक्टर, खसरा नंबर 452 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नंबर 578 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नंबर 595 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नंबर 825/380 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नंबर 843/577 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 8.39 हैक्टर मे खसरा नंबर 843/577 रकबा 0.10 हैक्टर भूमि को शामिल कर शेष राजस्व ग्राम खाखड़की तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि

भूमि खसरा नंबर 445 रकबा 3.80 हैक्टर, खसरा नंबर 452 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नंबर 578 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नंबर 595 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नंबर 825/380 रकबा 0.90 हैक्टर कुल रकबा 8.29 हैक्टर का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने काश्त की सुविधानुसार भूमियो की उपजाउता को मध्य नजर रखते हुए अपनी संयुक्त पैतृक खातेदारी भूमि का आज से करीबन 20 वर्ष पूर्व आपसी सहमती से मौके पर बंटवारा कर निम्न मुताबिक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मौके पर अलग अलग काबिज चले आ रहे है-

खसरा नंबर 595 रकबा 1.10 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी हनुमानराम के कब्जे काश्त व बंटवारे में हैं। इसमें वादी कानाराम व प्रतिवादी नारायणराम का हक व हिस्सा नहीं हैं। खसरा नम्बर 578 रकबा 1.12 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि वादी कानाराम के कब्जे काश्त में हैं इसमें प्रतिवादीगण हनुमानराम व नारायणराम का हक हिस्सा नहीं हैं। खसरा नम्बर 825/380 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 452 रकबा 1.37 हैक्टर कुल रकबा 2.27 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि नारायणराम के कब्जे काश्त बंटवारे में हैं। इसमें वादी कानाराम व प्रतिवादी हनुमानराम का हक हिस्सा नहीं हैं। खसरा नम्बर 445 रकबा 3.80 हैक्टर भूमि में पूर्वी तरफ की 1.72335 हैक्टर प्रतिवादी हनुमानराम के कब्जे काश्त में है। शेष पश्चिमी तरफ की 2.07665 हैक्टर भूमि में उत्तरी व पूर्वी तरफ की 1.64335 है0 भूमि पर वादी कानाराम का शेष दक्षिणी तरफ की जो खसरा नंबर 453 व 452 की सीमा से लगती हुई 0.4333 हैक्टर प्रतिवादी नारायणराम का कब्जा काश्त हैं। खसरा नंबर 445 रकबा 3.80 हैक्टर का मुताबिक बंटवारा एवं कब्जा काश्त का नजरी नक्शा वाद पत्र में पेश किया। राजस्व ग्राम खाखड़की तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 445 रकबा 3.80 हैक्टर, खसरा नंबर 452 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नंबर 578 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नंबर 595 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नंबर 825/380 रकबा 0.90 हैक्टर कुल रकबा 8.29 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी नंबर 1 ता 2 वाद पत्र में वर्णित हक व हिस्से एवं नजरी नक्शा अनुसार निर्विवादरूप से आज दिन तक काबिज कृषक चले आ रहे है परन्तु राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 2 के नाम संयुक्त खातेदारी चली आ रही है जिसका बंटवारा राजस्व रेकार्ड में मौके पर भू विभाजन करवा कर सेपरेट खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु अभियान के अर्न्तगत प्रतिवादीगणों को वादी ने कहा तो उन्होंने मना कर दिया। वादी मुताबिक पूर्व बंटवारा एवं कब्जा काश्त के अनुसार भूमि का भू विभाजन करवा कर अपने नाम सेपरेट खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है जिससे वादी अपने हक व अधिकार की भूमि का वांछित उपयोग व उपभोग कर सके। वादी ने अपने कब्जे काश्त एवं बंटवारे की भूमि का सुधार कर उसमें खाद आदि डाल कर उसका उपयोग व उपभोग करता आ रहा हैं। अब प्रतिवादीगणों के मन में फितूर पैदा हो गया है तथा पूर्व में किए गए बंटवारे से मुकरने लग गए हैं अगर प्रतिवादीगण ऐसा करने में सफल हो गये तो वादी अपने कब्जे काश्त एवं बंटवारे की भूमि से महरूम रह जायेगा और अपूर्णीय क्षति होगी। वादी अपने कब्जे काश्त बंटवारे की भूमि को विधिवत बंटवारा करवा कर राजस्व रेकार्ड में सेपरेट खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है। राजस्व ग्राम खाखड़की तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 445

रकबा 3.80 हैक्टर, खसरा नंबर 452 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नंबर 578 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नंबर 595 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नंबर 825/380 रकबा 0.90 हैक्टर कुल रकबा 8.29 हैक्टर भूमि में वाद पत्र के मे वर्णित हक व हिस्सेनुसार एवं नजरी नक्शे के मुताबिक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 काबिज कृषक है जिसकी रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं भू विभाजन की डिक्री बहक वादी एवं विरुद्ध प्रतिवादीगण फरमाकर मुताबिक डिक्री राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज करने व प्रतिवादीगण 3 व 4 के नाम बंटवारा मुताबिक भूमि रहन यथावत रखने के आदेश तहसीलदार नावां को प्रदान करने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 का तामील शुदा सम्मन एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 का जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन भिजवाये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संखय 1 ता 2 सगे भाई है। राजस्व ग्राम खाखड़की के खसरा नम्बर 445, 452, 578, 595, 825/380 कुल रकबा 8.29 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि हम वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में आयी हुई हैं। जिसका हमने बंटवारा कर खसरा नम्बर 595 रकबा 1.10 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी हनुमानराम के कब्जे काश्त एवं बंटवारे में हैं। खसरा नम्बर 578 रकबा 1.12 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि वादी कानाराम के कब्जे काश्त एवं बंटवारे में हैं। खसरा नम्बर 825/380 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 452 रकबा 1.37 हैक्टर कुल रकबा 2.27 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी नारायणराम के कब्जे काश्त एवं बंटवारे में हैं। खसरा नम्बर 445 रकबा 3.80 हैक्टर में से पूर्वी तरफ की 1.72335 हैक्टर प्रतिवादी हनुमानराम के कब्जे काश्त एवं बंटवारे में है, शेष पश्चिमी तरफ की 2.07665 हैक्टर भूमि में उत्तरी व पूर्वी तरफ की 1.64335 हैक्टर भूमि पर वादी कानाराम का व शेष दक्षिणी तरफ की जो खसरा नम्बर 453 व 452 की सीमा से लगती हुई 0.4333 हैक्टर प्रतिवादी नारायणराम के कब्जे काश्त में हैं। जिसका नजरी नक्शा मुताबिक बंटवारा वादपत्र में अंकित हैं। इसी अनुसार भूमि का बंटवारा राजस्व रिकॉर्ड में अलग अलग खातेदारी दर्ज कर दी जावें तो हम पक्षकारागणों को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा। खसरा नम्बर 843/577 सहखातेदारी में रहेगा।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा पेश कर राजस्व ग्राम खाखड़की तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 445 रकबा 3.80 हैक्टर, खसरा नंबर 452 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नंबर 578 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नंबर 595 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नंबर 825/380 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नंबर 843/577 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 8.39 हैक्टर भूमि में से खसरा नम्बर 595 रकबा 1.10 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी हनुमानराम के कब्जे काश्त एवं बंटवारे में एवं खसरा नम्बर 578 रकबा 1.12 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि वादी कानाराम के कब्जे काश्त एवं बंटवारे में एवं खसरा नम्बर 825/380 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 452

रकबा 1.37 हैक्टर कुल रकबा 2.27 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी नारायणराम के कब्जे काश्त एवं बंटवारे में एवं खसरा नम्बर 445 रकबा 3.80 हैक्टर में से पूर्वी तरफ की 1.72335 हैक्टर प्रतिवादी हनुमानराम के कब्जे काश्त एवं बंटवारे में है, शेष पश्चिमी तरफ की 2.07665 हैक्टर भूमि में उत्तरी व पूर्वी तरफ की 1.64335 हैक्टर भूमि पर वादी कानाराम का व शेष दक्षिणी तरफ की जो खसरा नम्बर 453 व 452 की सीमा से लगती हुई 0.4333 हैक्टर प्रतिवादी नारायणराम के कब्जे काश्त में है, जिसका नजरी नक्शा मुताबिक बंटवारा वादपत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित हैं, इसी अनुसार भू-विभाजन करवाना चाहते हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की भूमि मुताबिक राजीनामा भू-विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम खाखड़की तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 445 रकबा 3.80 हैक्टर, खसरा नंबर 452 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नंबर 578 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नंबर 595 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नंबर 825/380 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नंबर 843/577 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 8.39 हैक्टर भूमि में से खसरा नम्बर 595 रकबा 1.10 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी हनुमानराम को एवं खसरा नम्बर 578 रकबा 1.12 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का वादी कानाराम को एवं खसरा नम्बर 825/380 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 452 रकबा 1.37 हैक्टर कुल रकबा 2.27 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी नारायणराम को एवं खसरा नम्बर 445 रकबा 3.80 हैक्टर भूमि में से पूर्वी तरफ की 1.72335 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी हनुमानराम को व शेष पश्चिमी तरफ की 2.07665 हैक्टर भूमि में से उत्तरी व पूर्वी तरफ की 1.64335 हैक्टर भूमि का वादी कानाराम को व शेष दक्षिणी तरफ की जो खसरा नम्बर 453 व 452 की सीमा से लगती हुई 0.4333 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी नारायणराम को खातेदार काश्तकार घोषित कर भू-विभाजन किया जाता है। खसरा नम्बर 843/577 सहखातेदारी में यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। वाद पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(अंशुल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर,  
नावां (नागौर)  
उपखण्ड अधिकारी  
नावां (नागौर)

अदालत:- उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला नागौर, राज.

अज अदालत :- श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

वादी:-

कानाराम पुत्र शिवकरण जाति जाट उम्र करीबन 60 वर्ष साकिन ग्राम खाखड़की, तहसील नावां जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. नारायणराम पुत्र शिवकरण जाति जाट उम्र करीबन 50 वर्ष
2. हनुमानराम पुत्र पुत्र शिवकरण जाति जाट उम्र करीबन 50 वर्ष सभी साकिन खाखड़की तहसील नावां जिला नागौर।
3. मेनेजर एचडीएफसी बैंक लि. शाखा कुचामनसिटी।
4. मेनेजर नागौर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा नावां।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नावां (भूमिधारी)।

मुकदमा नम्बर :- 1/2022

निर्णय दिनांक :- 10.01.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री हनुमानाराम अधिवक्ता वादी व श्री कन्हैयालाल शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को डिक्री दी जाती हैं कि :-

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम खाखड़की तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 445 रकबा 3.80 हैक्टर, खसरा नंबर 452 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नंबर 578 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नंबर 595 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नंबर 825/380 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नंबर 843/577 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 8.39 हैक्टर भूमि में से खसरा नम्बर 595 रकबा 1.10 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी हनुमानराम को एवं खसरा नम्बर 578 रकबा 1.12 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का वादी कानाराम को एवं खसरा नम्बर 825/380 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 452 रकबा 1.37 हैक्टर कुल रकबा 2.27 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी नारायणराम को एवं खसरा नम्बर 445 रकबा 3.80 हैक्टर भूमि में से पूर्वी तरफ की 1.72335 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी हनुमानराम को व शेष पश्चिमी तरफ की 2.07665 हैक्टर भूमि में से उत्तरी व पूर्वी तरफ की 1.64335 हैक्टर भूमि का वादी कानाराम को व शेष दक्षिणी तरफ की जो खसरा नम्बर 453 व 452 की सीमा से लगती हुई 0.4333 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी नारायणराम को खातेदार काश्तकार घोषित कर भू-विभाजन किया जाता है। खसरा नम्बर 843/577 सहखातेदारी में यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। वाद पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा।

बसंत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.01.2023 को जारी की गई। तहरीर जारी हो।

मुहर



दस्तखत:

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी  
नावां (नागौर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये (नागौर)	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL